न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिहं शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 69/2023/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांकः 18.12.2023
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

गोपाल पुत्र श्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबड़ोद जिला बारां
...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये उप वन संरक्षक, जिला बारां
... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार नन्दवाना अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 03.03.2025

अपीलांट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 197/2022 बउनवान गोपाल बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2023 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक वन संरक्षक, छीपाबड़ोद द्वारा प्रकरण संख्या 179/2022 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 21.10.2022 से अपीलार्थी को वाके वन खण्ड हरनावदाशाहजी ग्राम हरनावदाशाहजी के खसरा संख्या 82 रकबा 10 बीघा वन भूमि पर सन् 2022 में फसल सोयाबीन एवं मक्का बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 20000/– रूपये शास्ति से दण्डित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के यहां अपीलांट द्वारा पेश करने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, छीपाबड़ोद द्वारा प्रकरण संख्या 179/2022 में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2022 को यथावत रखते हुए अपील निर्णय दिनांक 07.02.2023 से खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांट को सुनवायी व जवाबदेही का बिना समुचित अवसर दिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भी सही अवलोकन नहीं किया गया है। अपीलांट को बेदखल नहीं किया गया है, मात्र क्षेत्रीय वन अधिकारी छीपाबडोद की मिथ्या रिपोर्ट को ही आधार मानकर अपीलांट की अपील खारिज करने में त्रुटि की है। अपीलांट का अतिक्रमित उक्त आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का निरस्त किया जाना आवश्यक है क्योंकि उक्त उनवान की पत्रावली में एक ही खसरा नं0 82

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

रकबा 10 बीघा मात्र अपीलांट को द्वेषता व अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। सहायक वन संरक्षक द्वारा सुनवायी का पूर्ण अवसर नहीं दिया जाकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। उसी निर्णय को अधीनस्थ न्यायालय ने यथावत रखने में भारी कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट गरीब काश्तकार है एवं परिवार का कमाने वाला एक मात्र व्यक्ति है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय दिनांक 21.10.2022 एवं 07.02.2023 निरस्त फरमाया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में कथन किया कि निर्णय दोनों अधीनस्थ न्यायालय कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भी सही अवलोकन नहीं किया गया है। अपीलांट को बेदखल नहीं किया गया है, मात्र क्षेत्रीय वन अधिकारी छीपाबडोद की मिथ्या रिपोर्ट को ही आधार मानकर अपीलांट की अपील खारिज करने में त्रुटि की है। अपीलांट का अतिक्रमित उक्त आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गयी सजा का निरस्त किया जाना आवश्यक है क्योंकि उक्त उनवान की पत्रावली में एक ही खसरा नं0 82 रकबा 10 बीघा मात्र अपीलांट को द्वेषता व अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। सहायक वन संरक्षक द्वारा सुनवायी का पूर्ण अवसर नहीं दिया जाकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अन्त में अपील स्वीकार कर निर्णय दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक वन संरक्षक, छीपाबड़ोद द्वारा प्रकरण संख्या 179/2022 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 21.10.2022 से अपीलार्थी को वाके वन खण्ड हरनावदाशाहजी ग्राम हरनावदाशाहजी के खसरा संख्या 82 रकबा 10 बीघा वन भूमि पर सन् 2022 में फसल सोयाबीन एवं मक्का बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 20000/– रूपये शास्ति से दण्डित किया गया, जो न्यायोचित है। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां ने भी अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर परीक्षणोपरांत जेरअपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय सहायक वन संरक्षक, छीपाबड़ोद द्वारा प्रकरण संख्या 179/2022 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 21.10.2022 से अपीलार्थी को वाके वन खण्ड हरनावदाशाहजी ग्राम हरनावदाशाहजी के खसरा संख्या 82 रकबा 10 बीघा वन भूमि पर सन् 2022 में फसल सोयाबीन एवं मक्का बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 20000/– रूपये शास्ति से दण्डित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के यहां अपीलांट द्वारा पेश करने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, छीपाबड़ोद द्वारा प्रकरण संख्या 179/2022 में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2022 को यथावत रखते हुए अपील निर्णय दिनांक 07.02.2023 से खारिज की गई। अपीलांट

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

का दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्व तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भी सही अवलोकन नहीं किया गया है। अपीलांट को बेदखल नहीं किया गया है, मात्र क्षेत्रीय वन अधिकारी छीपाबडोद की मिथ्या रिपोर्ट को ही आधार मानकर अपीलांट की अपील खारिज करने में त्रुटि की है। अपीलांट का अतिक्रमित उक्त आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है। सहायक वन संरक्षक द्वारा सुनवायी का पूर्ण अवसर नहीं दिया जाकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा सरकारी वन भूमि पर फसल सोयाबीन एवं मक्का बोकर अतिक्रमण किया है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.02.2023 अनुसार अपीलांट द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण किये जाने पर प्रकरण संख्या 123/2022 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2022 द्वारा सजायाब एवं बेदखल किया गया था एवं पुनः सन् 2022 में अतिक्रमण किये जाने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आने से तथा अतिक्रमित रकबा 10 बीघा अधिक होने से न्यायालय सहायक वन संरक्षक, छीपाबडोद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2022 को यथावत रखते हुए अपील खारिज की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। साथ ही अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपने पक्ष के समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है, जिससे अपीलांट के कथनों की पुष्टि होती हो। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित होने से हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

6 निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा